FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) बायतु

जोगाराम वगैरह बनाम पेमाराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा.वाद 88 RTA नं. 114/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/06/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जोगाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 06/06/2022 को पेश हो।	
06/06/2022	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर ईकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादीगण स्वयं PW-1, PW-2, PW-3 व स्वतंत्र गवाह PW-4 के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1 का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगणों के वादी वकील द्वारा तर्क किया गया जिनसे कोई किसी प्रकार की ईस्तदुआ नहीं चाही गई है वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली	जोगाराम पेमाराम L.T.I. पेमाराम खेताराम जोगाराम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन उक्त विवादित भूमि वादीगण की हक साबित होती है। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर [illegible] हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर

राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 114/2022

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जोगाराम पुत्र पेमाराम, 2. देवाराम पुत्र पेमाराम, 3. हरचंदराम पुत्र पेमाराम, जाति–जाट, निवासी– चेनाणियों की ढाणी, सिंगोडिया, तहसील– बायतु, जिला–बाड़मेर	।	1. पेमाराम पुत्र रतनाराम, 2. गिरधारीराम पुत्र रतनाराम, 3. जेठीदेवी पत्नी नेनाराम, जाति– जाट, निवासी– चैनाणियों की ढाणी, सिंगोड़िया, तहसील– बायतु, जिला – बाड़मेर। 4. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाटाडू 5. तहसीलदार बायतू।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री जोगाराम वकील वादीगण

–: **निर्णय** :– **दिनांक** : 06/06/2022

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा चैनाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 685/341, 686/341, 687/341, 688/350, 695/318 रकबा क्रमशः 13.5912, 2.9124, 1.0113, 1.4562, 8.5754 हैक्टेयर व मौजा लूणाड़ा पटवार हल्का लूणाड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नंम्बर 1478/1156 रकबा 7.9444 हैक्टयर व मौजा रामदान का तला के खेत खसरा नम्बर 1711/1673 रकबा 21.7459 हैक्टयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या–1, पूर्वज रतनाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बटंवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं जोगाराम पुत्र पेमाराम शपथ पत्र PW-1, वादी देवाराम पुत्र पेमाराम शपथ पत्र PW-2, वादी हरचंदराम पुत्र पेमाराम शपथ पत्र PW-3, स्वतंत्र गवाह के रूप में खेताराम पुत्र मेगाराम का शपथ पत्र PW-4 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW-1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या–1 उनके पूर्वज रतनाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या–1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 के 1/2 हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा चैनाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 685/341, 686/341, 687/341, 688/350, 695/318 रकबा क्रमशः 13.5912, 2.9124, 1.0113, 1.4562, 8.5754 हैक्टेयर व मौजा लूणाड़ा पटवार हल्का लूणाड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नंम्बर 1478/1156 रकबा 7.9444 हैक्टयर व मौजा रामदान का तला के खेत खसरा नम्बर 1711/1673 रकबा 21.7459 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 06/06/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला – बाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. जोगाराम पुत्र पेमाराम, 2. देवाराम पुत्र पेमाराम, 3. हरचंदराम पुत्र पेमाराम, जाति–जाट, निवासी– चेनाणियों की ढाणी, सिंगोड़िया, तहसील– बायतु, जिला–बाड़मेर		1. पेमाराम पुत्र रतनाराम, 2. गिरधारीराम पुत्र रतनाराम, 3. जेठीदेवी पत्नी नेनाराम, जाति– जाट, निवासी– चेनाणियों की ढाणी, सिंगोड़िया, तहसील– बायतु, जिला – बाड़मेर। 4. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाटाडू 5. तहसीलदार बायतू।

दावा बाबत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या– 114/2022. **निर्णय दिनांक :–** 06/06/2022

वादीगण वकील श्री जोगाराम व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06/06/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर **मौजा चैनाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 685/341, 686/341, 687/341, 688/350, 695/318 रकबा क्रमशः 13.5912, 2.9124, 1.0113, 1.4562, 8.5754 हैक्टेयर व मौजा लूणाड़ा पटवार हल्का लूणाड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नंम्बर 1478/1156 रकबा 7.9444 हैक्टयर व मौजा रामदान का तला के खेत खसरा नम्बर 1711/1673 रकबा 21.7459 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार** घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)(SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला – बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड़	